



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267831  
CG-DL-E-19112025-267831

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5122]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025  
(आय-कर)

का.आ. 5293(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), की धारा 54 की उपधारा (2), धारा 54ख की उपधारा (2) धारा 54घ की उपधारा (2), धारा 54 (च) की उपधारा (4), धारा 54 (छ) की उपधारा (2), धारा 54छक की उपधारा (2) और धारा 54 छख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पूंजी अभिलाभ खाता (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2025 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा (1) के उप पैरा (3) में, “54छ” अंकों और अक्षर के पश्चात्, “,54छ क” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त स्कीम के पैरा 2 में,-

(i) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(ड.) “निष्केप कार्यालय” से -

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक की कोई शाखा या उसका शाखा कार्यालय अभिप्रेत है'; या

(ii) “बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित कोई “बैंककारी कंपनी” अभिप्रेत है,

जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्कीम के अधीन निष्केपकर्ता के निष्केप को प्राप्त करने और उसके खाते को बनाए रखने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया है’;

(ii) खंड (च) में “54छ” अंकों और अक्षर के पश्चात् “,54छक” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(चक) “इलेक्ट्रोनिक पद्धति” से किसी बैंक खाते के माध्यम से या निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा भुगतान अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(क) क्रेडिट कार्ड;

(ख) डेबिट कार्ड;

(ग) नेट बैंकिंग;

(घ) आईएमपीएस(तत्काल भुगतान सेवा);

(ङ) यूपीआई (एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ) ;

(च) आरटीजीएस (वास्तविक कार्ड सकल निपटान) ;

(छ) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण) , और

(ज) भीम (धन संबंधी भारत अंतरापृष्ठ) आधार पे ;।

4. उक्त स्कीम के पैरा 3 में, “54छ” अंकों और अक्षर के पश्चात् , “या धारा 54छक” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त स्कीम के पैरा 5 में,-

(क) उप पैरा (4) में “चेक से या ड्राफ्ट से” शब्दों के पश्चात् “या इलेक्ट्रानिक पद्धति से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(6) यदि निक्षेप या चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रोनिक पद्धति से किया जाता है तब ऐसे चेक या ड्राफ्ट या ऐसे इलेक्ट्रोनिक पद्धति से भुगतान की वसूली किए जाने के अधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन दूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए निक्षेप की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जिसको, यथास्थिति, उप पैरा (1) या उप पैरा (5) के अधीन किए गए आवेदन के साथ चेक से या निक्षेप से या ऐसी इलेक्ट्रोनिक पद्धति से भुगतान निक्षेप कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है”;

(ग) उप पैरा (7) में, “चेक या ड्राफ्ट की” शब्दों के पश्चात् “या इलेक्ट्रोनिक पद्धति से निक्षेप की प्राप्ति की तारीख से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त स्कीम के पैरा 7 के उप पैरा (7) में, “अपनी पासबुक के साथ” शब्दों के पश्चात् “या खाते का इलेक्ट्रॉनिक विवरण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त स्कीम के पैरा 9 में,-

(क) उप पैरा (1) में “पासबुक सहित” शब्दों के पश्चात् “या खाते की इलेक्ट्रानिक विवरणी सहित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उप पैरा (2) में, “पासबुक में” शब्दों के पश्चात् “या यथा लागू खाते की इलेक्ट्रानिक विवरणी में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उप पैरा (4) में, “उप पैरा (3) में, “के रूप में” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् “इलेक्ट्रोनिक पद्धति या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त स्कीम के पैरा 10 के उप पैरा (1) में “धारा 54छ की” शब्दों, अंक और अक्षर के पश्चात् “या धारा 54छक की उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त स्कीम के पैरा 13 में, उप पैरा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(7)इस पैरा के अधीन प्रयोग किए जाने वाले खाते को बंद करने का विकल्प 1 अप्रैल, 2027 से ही या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,-

(क) प्ररूप छ और प्ररूप ज को फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा;

(ख) ऐसे निर्धारण अधिकारी को यथा लागू प्ररूप छ या प्ररूप ज भेजेगा जिसकी अधिकारिता आवेदक पर है और निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने पर आवेदक को भेजेगा;

(ग) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उप पैरा 7 में निर्दिष्ट डाटा संरचना, इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के मानक और सृजन की रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(घ) इस प्रकार भेजे गए प्ररूप के संबंध में समुचित प्रतिभूति, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

## 10. उक्त स्कीम के प्ररूप क में,-

(क) “\*54छ/” चिन्ह, अंकों और अक्षर के पश्चात् “\*54छक/” चिन्ह, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “मांगदेय ड्राफ्ट” शब्दों के पश्चात् “/\*इलेक्ट्रोनिक पद्धति से” चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) “..... पर लिखे गए मांगदेय ड्राफ्ट संख्या....., तारीख.....द्वारा” शब्दों और अक्षरों के पश्चात् “/\*इलेक्ट्रोनिक पद्धति द्वारा” चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

## 11. उक्त स्कीम के प्ररूप ग में, -

(क) पैरा 2 में, “धारा 54छ/”, अंकों, अक्षर और चिन्ह के पश्चात् “धारा 54छक/” अंक, अक्षर और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पैरा 3 के खंड (ii) में, “मांग देय ड्राफ्ट के रूप में” शब्दों के पश्चात् “/इलेक्ट्रोनिकी पद्धति द्वारा” चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) “निक्षेप कार्यालय के प्रयोग के लिए” शीर्षक के अधीन, खंड (ii) में, उप खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) आरटीजीएस/आईएमपीएस/एनईएफटी/संब्यवहार संख्या.....तारीख.....” ।

[फा.सं.161/2025/फा.सं.370142/23/2024-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

**टिप्पण-** पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम, 1988 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 724(अ), तारीख 22 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसे अधिसूचना सं. का.आ. 2553(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**  
**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 19th November, 2025  
**(INCOME-TAX)**

**S.O. 5293(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 54, sub-section (2) of section 54B, sub-section (2) of section 54D, sub-section (4) of section 54F, sub-section (2) of section 54G, sub-section (2) of section 54GA and sub-section (2) of section 54GB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Capital Gains Account Scheme, 1988, namely:-

1. This Scheme may be called the Capital Gains Accounts (Second Amendment) Scheme, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 1, in sub-paragraph (3), after the figures and letter “54G”, the figures and letters “, 54GA” shall be inserted.

3. In the said Scheme, in paragraph 2,—

(i) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(e)“Deposit Office” means any branch or branch office of—

- (i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) or of a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), or of a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or
- (ii) a “banking company” as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949),

which is authorised by the Central Government, by notification in the Official Gazette, to receive deposit and maintain account of the depositor under this Scheme;’;

(ii) in clause (f), after the figures and letter “54G”, the figures and letters “, 54GA” shall be inserted;

(iii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(fa) “electronic mode” means payment by use of electronic clearing system through a bank account or by way of any of the following modes, namely:—

- (a) credit card;
- (b) debit card;
- (c) net banking;
- (d) IMPS (Immediate Payment Service);
- (e) UPI (Unified Payment Interface);
- (f) RTGS (Real Time Gross Settlement);
- (g) NEFT (National Electronic Funds Transfer), and
- (h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Pay,’.

4. In the said Scheme, in paragraph 3, after the figures and letter “54G”, the words, figures and letters “or section 54GA” shall be inserted.

5. In the said Scheme, in paragraph 5,—

(a) in sub-paragraph (4), after the words “cheque or by draft”, the words “or by electronic mode” shall be inserted;

(b) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(6) If the deposit is made by a cheque or a draft or by electronic mode then, subject to such cheque or draft or payment by such electronic mode being realised, the effective date of deposit for the purpose of claiming exemption under the Act shall be the date on which the cheque or draft or payment by such electronic mode is received by the deposit office along with the application made under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (5), as the case may be.”;

(c) in sub-paragraph (7), after the words “of the cheque or the draft”, the words “or the date of receipt of the deposit by electronic mode” shall be inserted.

6. In the said Scheme, in paragraph 7, in sub-paragraph (7), after the words “together with his pass book”, the words “or electronic statement of account” shall be inserted.

7. In the said Scheme, in paragraph 9,—

(a) in sub-paragraph (1), after the words “together with the pass book” the words “or electronic statement of account” shall be inserted;

(b) in sub-paragraph (2), after the words “in the pass book”, the words “or electronic statement of account, as applicable” shall be inserted;

(c) in sub-paragraph (4), after the words, brackets and figures “in sub-paragraph (3), by way of”, the words “electronic mode or” shall be inserted.

8. In the said Scheme, in paragraph 10, in sub-paragraph (1), after the words, figure and letter “of section 54G”, the words, brackets and figures “or sub-section (2) of section 54GA” shall be inserted.

9. In the said Scheme, in paragraph 13, after sub-paragraph (6), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—

“(7) The option of closure of account to be exercised under this paragraph, shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code on and from the 1<sup>st</sup> April, 2027.

(8) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, —

- specify the procedure for filing of Form G and Form H;
- forward Form G or Form H, as applicable, to the Assessing Officer having jurisdiction over the applicant, and upon approval by the Assessing Officer, to the applicant;
- specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-paragraph (7), for verification of the person furnishing the said Form; and
- be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form so furnished.”.

10. In the said Scheme, in Form A, —

- after the symbol, figures and letter “\*54G/”, the symbol, figures and letters “\*54GA/” shall be inserted.
- after the words “Demand Draft”, the symbols and words “/\*by electronic mode” shall be inserted;
- after the words and letters “Demand Draft No. ..... dated ..... drawn on .....”, the symbols and words “/\* by electronic mode” shall be inserted.”

11. In the said Scheme, in Form C, —

- in paragraph 2, after the word, figures, letter and symbol “section 54G/”, the word, figures, letters and symbol “section 54GA/” shall be inserted;
- in paragraph 3, in clause (ii), after the words “Demand Draft”, the symbol and words “/by electronic mode” shall be inserted;
- under the heading “FOR THE USE OF DEPOSIT OFFICE”, in clause (ii), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(c) RTGS/IMPS/NEFT/Transaction No. .... dated.....”.

[F. No.161/2025/F. No. 370142/23/2024-TPL]

KRITIKA JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

**Note:** The Capital Gains Accounts Scheme, 1988 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 724 (E), dated the 22<sup>nd</sup> June, 1988 and was last amended vide notification number S.O. 2553 (E) dated the 25<sup>th</sup> October, 2012.